

पत्रांक :-3/यो01-01/2025 (उ0शि0).....324/948

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा प्रभाग)

प्रेषक,

रामनिवास यादव (भा0प्र0से0),
निदेशक, उच्च शिक्षा।

सेवा में,

अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी(उच्च शिक्षा),
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक 10/02/2025

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2024-25 में गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के
क्रियान्वयन हेतु राशि रु0 5,00,00,000/- (पाँच करोड़ रुपये) मात्र के
भुगतान हेतु आवंटन प्रदान करने के संबंध में।

प्रसंग :-

विभागीय संकल्प संख्या 220/बजट दिनांक 14.01.2022, 103/बजट दिनांक
01.08.2023 एवं 1607 दिनांक 14.10.2024

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश
संख्या 319/बजट दिनांक 31.01.2025 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2024-25 में गुरुजी स्टूडेंट
क्रेडिट कार्ड योजना के क्रियान्वयन हेतु राशि रु0 5,00,00,000/- (पाँच करोड़ रुपये) मात्र के
भुगतान हेतु आवंटन प्रदान की जाती है।

2. उपर्युक्त स्वीकृत राशि का विकलन वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य स्कीम
बजट के निम्नांकित शीर्ष- मुख्यशीर्ष-2202 सामान्य शिक्षा, 03-विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा,
उपशीर्ष-BM- गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजनाएँ, लघुशीर्ष -001-निदेशन और प्रशासन, विस्तृत
शीर्ष-07 अन्य व्यय, 57-ब्याज (विपत्र कोड- 21S2202030001BM010757) (स्कीम कोड-2071)
के अंतर्गत होगा।

3. स्वीकृत राशि की निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर
सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे, जो निकासी के उपरांत राशि को
गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना हेतु HDFC Bank (Corpus Bank) के निम्न खाता में जमा
करेंगे :-

Account Name	GURUJI STUDENT CREDIT CARD SCHEME
A/C No	50100694974092
IFSC Code	HDFC0002687
Branch Code	2687
Branch Name	KANKE

4. Corpus Bank, HDFC Bank के द्वारा विभागीय संकल्प संख्या- 220/बजट
दिनांक 14.01.2022 के आलोक में निर्गत मार्गदर्शिका संकल्प संख्या- 103/बजट दिनांक
01.08.2023 एवं संशोधित मार्गदर्शिका संकल्प संख्या- 1607 दिनांक 14.10.2024 में अंकित
प्रावधानानुसार नियमानुसार राशि की निकासी की जायेगी एवं निकासी के उपरांत Corpus Bank,
HDFC Bank के द्वारा Intrest Subvention हेतु राशि संबंधित Lending Institutions को मासिक
रूप में उपलब्ध कराया जायेगा।

5. यदि Corpus Bank के खाते में Interest की प्राप्ति होती है, तो इस तथ्य से
विभाग को प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर विस्तृत प्रतिवेदन (Monthly Basis पर सूची के
साथ) उपलब्ध करायेगा।

6. गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण विभागीय संकल्प संख्या 220/बजट दिनांक 14.1.2022 के आलोक में निर्गत मार्गदर्शिका के द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति तथा High Power Monitoring Committee के द्वारा किया जायेगा।

7. व्यय उपरान्त स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार झारखण्ड एवं विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।

5. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

6. महालेखाकार का कार्यालय, अंकेक्षण/वित्त (अंकेक्षण) विभाग को विमुक्त एवं निकासी की गई राशि के अंकेक्षण का अधिकार होगा।

7. स्वीकृत्यादेश संख्या 319/बजट दिनांक 31.01.2025 की अन्य शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

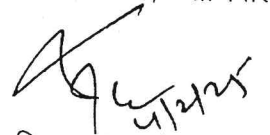
8. स्वीकृत राशि की निकासी हेतु तैयार विपत्र निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा।

विश्वासभाजन,


(रामनिवास यादव)
निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापांक-3/यो01-01/2025 (उ0शि0) 324/बजट/राँची, दिनांक- 10/02/2025

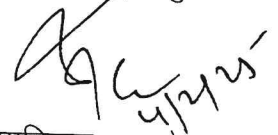
प्रतिलिपि - महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


(रामनिवास यादव)

निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापांक-3/यो01-01/2025 (उ0शि0) 324/बजट/राँची, दिनांक- 10/02/2025

प्रतिलिपि - विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त सचिव/ संयुक्त सचिव, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग/ उप सचिव, वित्त विभाग/ उप सचिव, सूचना प्राद्यौगिकी एवं ई-गवर्नेन्स विभाग/ आन्तरिक वित्तीय सलाहकार/ श्री अनमोल कुमार लाल, उप निदेशक, उच्च शिक्षा/ Deputy Vice President, HDFC Bank/ Branch Manager, HDFC Bank, Kanke /अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी(उच्च शिक्षा)/ लेखा शाखा, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित तथा जोडल पदाधिकारी को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


(रामनिवास यादव)

निदेशक, उच्च शिक्षा।





आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

Higher and Technical Education Department (Higher Education Division)

चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - 3/YO1-01/2025/324/BUDGET

दिनांक - 10-Feb-2025

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 21 220203001BM010757 2202 - सामान्य शिक्षा 03 - विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा 001 - निदेशन और प्रशामन BM - गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजनाएँ 01-गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना 07 - अन्य व्यय State Scheme State Scheme : GURUJI CREDIT CARD SCHEMES(2071) Central Scheme : NA	86277	DRNEDN046 SUDHIR KUMAR UNDER SECT.HIGHER EDU.DIR.JHA. 57 - व्याज	50,000,000.00 रुपये पाँच करोड



योग: रुपये पाँच करोड

50,000,000.00

क्रमिक योग:

(RAMNIWAS YADAV)

DIRECTOR

